राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	अंतिम निर्णय दिनांक
3082 / 15(340 / 11)	27.05.2015(14.12.2011)	27. 8. 25

उनवानः

1. राजकुमार पुत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी कायसा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

...........वादी

बनाम

1. औमप्रकाश पुत्र सुमेरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. राजबाला पत्नी कृष्ण कुमार जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

.......प्रतिवादीगण

दावा तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

।। निर्णय ।।

आज यह पत्रावली पेश हुई । पत्रावली के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खसरा नम्बर हाल 1071 रकबा 0.46 है0, 1178 रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम कायसा तह0 नीमराना मे स्थित है जो आराजी बिना बटी हुई आराजी है जिसका आज तक विधिवत रूप से कोई तकासमा नही हुआ है जिस पर मिन वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी मे मिन वादी हिस्सा–1 / 4 का खातेदार दर्ज रिकार्ड हूँ। प्रतिवादीगण मुंहजोर किश्म के व्यक्ति है।जो अच्छी–अच्छी आराजी पर जबरन कब्जा कर उसमे निर्माण करना चाहते है। प्रतिवादीगण को मिन वादी द्वारा आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से तकासामा करवाने के लिए कहा गया तो प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से तकासामा करवाने से साफ इंकार कर दिया और धमकी दी की हम आराजी मुतनाजा का अच्छा से अच्छा भाग पर जबरन कब्जा कर उसमे निर्माण करेगें या अच्छी से अच्छी आराजी को अपनी बताकर दिगर जगह खुर्द बुर्द करेंगें । अगर हमारे कार्य मे बाधा डाली तो उसके गम्भीर परिणाम होगें। इसलिए वादी आराजी मुतनाजा मे अपने हिस्सा–1 / 4 का अलग से विभाजन करवाकर अलग खाताबन्दी करवाने एवं प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द करवाने की प्रार्थना की गई है।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये । बाद तामिल प्रतिवादी सं0 1 की ओर से श्री मकरध्वज शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा प्रतिवादी सं0 2 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

प्रतिवादी सं0 1 ने वादी के वाद पत्र के सभी तथ्यो को इंकार करते हुऐ जबाब पेश किया गया कि आराजी मुतनाजा का मौके पर बाहमी बंटवारा किया हुआ है। बाहमी बंटवारा के मुताबिक मौके पर काबिज है। इसलिए आराजी मुतनाजा संयुक्त कब्जा काश्त की आराजी नही है। लेकिन वादी द्वारा आराजी मुतनाजा को बिना वजहा विवादित करने के लिए यह दावा गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है। जो मय खर्चा खारिज किया जाने की प्रार्थना की गई।

पैरोकार सरकार ने भी जवाब दावा पेश किया गया है।

उभय पक्षो के अभिवचनो के आधार पर तनकीयात कायम की गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी चल रही है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

दावा विभाजन आराजी का है। दावा मे वर्णित वाद ग्रस्त आराजी का मौके पर बंटवारा होने एवं मौके पर किस खसरा नम्बरान पर किस खातेदार का कब्जा काश्त है। ऐसे कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अपने जबाब दावा मे भी आराजी मुतनाजा का मौके पर बाहमी बंटवारा किस प्रकार किया हुआ है उसका वर्णन नही किया गया है। ऐसी स्थिती मे प्रकरण मे वर्णित भूमि के विभाजन की डिक्री बिना कुर्रे रिपोर्ट के पारित किया जाना सम्भव नही होने के कारण, न्याय हित मे वादी के वाद पत्र को दिनांक 22.04.2024 को प्राम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नीमराना को आदेशित किया गया कि उभय पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्ता संबंधि राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को दृष्टिगत रखते हुऐ विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय मे भिजवाई जावे।

तहसीलदार नीमराना द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 22.04.2022 की पालना मे वादग्रस्त खसरा नम्बर 1071 रकबा 0.46 है0, 1178 रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम कायसा तह0 नीमराना जिला कोपूतली–बहरोड की कुर्रे रिपोर्ट मय नक्शा दिनांक 28.08.2024 को तैयार करवाकर, इस न्यायालय मे दिनांक 03.09.2024 को पेश की गई। वकील वादी उपस्थित तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट के विरूद्ध कोई आपत्ति पेश नही की गई। इसलिए तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिर्पोट के आधार पर वादी का वाद अंतिम रूप से डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी,तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 28.08.2022 के मुताबिक खसरा नम्बर 1071 रकबा 0.46 है0, 1178 रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम कायसा तह0 नीमराना जिला कोपूतली–बहरोड के, तकसीम की डिक्री निम्न प्रकार से जारी की जाती है किः–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	राजबाला पत्नी कृष्ण कुमार हि0 सम्पूर्ण जाति अहीर सा0 देह खातेदार	1071/1	0.2300
		कुल किता–1 रकबा 0.2300 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	औमप्रकाश पुत्र सुमेर हि0 सम्पूर्ण जाति अहीर सा0 देह खातेदार राहिन हि0 पी.एन.बी. शांखा नीमराना	1071/2	0.1150
		कुल किता–1 रकबा 0.1150 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	राजकुमार पुत्र प्रहलाद हि0 सम्पूर्ण जाति अहीर सा0 देह खातेदार	1071/3	0.1150
		कुल किता–1 रकबा 0.1150 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	राजबाला पत्नी कृष्णकुमार हि0–1500/1900 जाति अहीर सा0 देह खातेदार	1078/1	0.1900
2.	धन्नीदेवी पत्नी बनवारी हि0–400/1900 जाति अहीर सा0 देह खातेदार	कुल किता–1 रकबा 0.1900 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	औमप्रकाश पुत्र सुमेर हि0 सम्पूर्ण जाति अहीर सा0 देह खातेदार राहिन हि0 पी.एन.वी. शाखा नीमराना	1078/2	0.950
		कुल किता–1 रकबा 0.950 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	राजकुमार पुत्र प्रहलाद हि0 सम्पूर्ण जाति अहीर सा0 देह खातेदार	1078/3	0.950
		कुल किता–1 रकबा 0.950 है0	

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपुतली-बहरोड़)

उपरौक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायंम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 27.8.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

।। पर्चा डिक्री ।।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	अंतिम निर्णय दिनांक
3082/15(340/11)	27.05.2015(14.12.2011)	27.8.25

उनवानः

1. राजकुमार पुत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी कायसा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 ....वादी

बनाम

1. औमप्रकाश पुत्र सुमेरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. राजबाला पत्नी कृष्ण कुमार जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

.......प्रतिवादीगण

दावा तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी,तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 28.08.2022 के मुताविक खसरा नम्वर 1071 रकवा 0.46 है0, 1178 रकवा 0.38 है0 वाके ग्राम कायसा तह0 नीमराना जिला कोपूतली–बहरोड के, तकसीम की डिक्री निम्न प्रकार से जारी की जाती है किः–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	राजबाला पत्नी कृष्ण कुमार हि0 सम्पूर्ण जाति अहीर सा0 देह खातेदार	1071/1	0.2300
		कुल किता–1 रकवा 0.2300 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	औमप्रकाश पुत्र सुमेर हि0 सम्पूर्ण जाति अहीर सा0 देह खातेदार राहिन हि0 पी.एन.बी. शाखा नीमराना	1071/2	0.1150
		कुल किता–1 रकवा 0.1150 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	राजकुमार पुत्र प्रहलाद हि0 सम्पूर्ण जाति अहीर सा0 देह खातेदार	1071/3	0.1150
		कुल किता–1 रकवा 0.1150 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	राजबाला पत्नी कृष्णकुमार हि0–1500/1900 जाति अहीर सा0 देह खातेदार	1078/1	0.1900
2.	धन्नीदेवी पत्नी बनवारी हि0–400/1900 जाति अहीर सा0 देह खातेदार	कुल किता–1 रकवा 0.1900 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	औमप्रकाश पुत्र सुमेर हि0 सम्पूर्ण जाति अहीर सा0 देह खातेदार राहिन हि0 पी.एन.बी. शाखा नीमराना	1078/2	0.950
		कुल किता–1 रकवा 0.950 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	राजकुमार पुत्र प्रहलाद हि0 सम्पूर्ण जाति अहीर सा0 देह खातेदार	1078/3	0.950
		कुल किता–1 रकवा 0.950 है0	

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

उपरौक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान काय़म कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.8.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

महेन्द्रसिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)